रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249139
CG-DL-E-04102023-249139

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945
No. 676] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2023

फा.सं. एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ-II(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित), के विनियम 12 में,—

(क) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"(1) किसी अधिप्रमाणन सुविधा के उपयोग के लिए अनुरोधकर्ता संस्था के रूप में नियुक्ति चाहने वाली एजेंसी या अन्य व्यक्ति नियुक्ति के लिए प्राधिकरण को ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी एजेंसी या व्यक्ति के द्वारा उसे किए गए अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाए :

परंतु यह कि ऐसी एजेंसी या व्यक्ति, अनुरोधकर्ता संस्था के रूप में नियुक्ति होने पर, केवल ऐसे प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन करेगी जैसी कि—

(क) उप-धारा (4) के तहत अनुज्ञात की गई है या वह अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (7) में संदर्भित किसी भी विधि के अंतर्गत अपेक्षित है; या

(ख) अधिनियम की धारा 7 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है।";

(ख) उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"(2) किसी अधिप्रमाणन सुविधा के उपयोग के लिए एएसए के रूप में नियुक्ति चाहने वाली संस्था नियुक्ति के लिए प्राधिकरण को ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगी जैसा कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी संस्था के द्वारा उसे किए गए अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाए।

(2क) एएसए के रूप में नियुक्ति चाहने वाली संस्था अनुसूची क में विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति करेगी।"।

3. मूल विनियम में, विनियम 31 के बाद, निम्नलिखित विनियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"32. प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित कार्य या बात करना.—(1) कोई भी कार्य या बात जो इन विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा की जानी है या की जा सकती है, वह प्राधिकरण के किसी ऐसे सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी की जा सकेगी जिसे प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संबंधित शक्ति या कृत्य प्रत्यायोजित किया है।

(2) प्राधिकरण यह अवधारित कर सकता है कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या बात उक्त उप-विनियम में यथा संदर्भित प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित है या नहीं।"।

4. मूल विनियम में, विद्यमान अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"अनुसूची क

अधिप्रमाणन सेवा एजेंसियों के पात्रता मानदंड

[विनियम 12(2क) देखें]

1. एएसए के रूप में अपॉइंटमेंट की मांगकर्ता संस्थाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

क्र. सं.	संगठन श्रेणी
श्रेणी 1	केंद्र सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उपक्रम
श्रेणी 2	केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई प्राधिकार
श्रेणी 3	प्राधिकरण की राय में राष्ट्रीय महत्व की कोई अन्य संस्था
श्रेणी 4	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी
श्रेणी 5	एयूए या केयूए

2. एएसए के रूप में नियुक्ति के संबंध में संस्थाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड इस प्रकार हैं :

श्रेणी	वित्तीय अपेक्षा	तकनीकी अपेक्षा
श्रेणी 1, 2 और 3	—	—
श्रेणी 4	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए	दूरसंचार सेवा प्रदाता {एक्सेस सेवाओं के लिए प्राधिकार प्राप्त यूनिफाईड लाइसेंस का धारक या यूनिफाईड एक्सेस सर्विसेज़ लाइसेंस का धारक, जिसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है}, जिसके पास भारत में न्यूनतम 100

		मल्टीप्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग (एमपीएलएस) *पॉइंटस् ऑफ प्रेजेंस* (पीओपी) हैं। या नेटवर्क सेवा प्रदाता या सिस्टम इंटीग्रेटर, जिसके पास डेटा ट्रांसमिशन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी है और जिसके पास भारत में न्यूनतम 100 एमपीएलएस पीओपी हैं।
श्रेणी 5	—	ऐसे अधिप्रमाणन संव्यवहार मानदंड जैसे कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, की पूर्ति करने वाला एयूए या केयूए।"।

निखिल सिन्हा, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./457/2023-24]

टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 8.11.2021 की अधिसूचना सं. के-11020/240/2021/ऑथ/ यूआईडीएआई (2021 का संख्याक 2) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में दिनांक 9 नवंबर, 2021 को प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन दिनांक 24 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या एचक्यू-13011/240/2021-ऑथ-II (2023 का संख्याक 01) के तहत किया गया।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

F. No. HQ-13073/1/2020-AUTH.II(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 12,—

(a)for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(1) An agency or other person seeking appointment as a requesting entity for use of an Authentication facility shall apply to the Authority for appointment, in such form as the Authority may provide upon request made to it by such agency or person:

Provided that such agency or person, on appointment as requesting entity, shall perform authentication only for such purpose as is—

(a) allowed under sub-section (4) or required under any law as referred to in sub-section (7) of section 4 of the Act; or

(b) required by the Central Government or a State Government under section 7 of the Act.";

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) An entity seeking appointment as an ASA for use of an Authentication facility shall apply to the Authority for appointment, in such form as the Authority may provide upon request made to it by such entity.

(2A) The entity seeking appointment as ASA shall fulfil the criteria specified in Schedule A.".

3. In the principal regulations, after regulation 31, the following regulation shall be inserted, namely:—

"**32. Doing of act or thing related to delegated power or function.—**(1) Any act or thing that is to be or may be done by the Authority under these regulations may also be done by any Member or officer of the Authority or any other person to whom the Authority has delegated the related power or function by general or special order in writing, under section 51 of the Act.

(2) The Authority may determine whether or not an act or thing done by a Member, officer or other person under sub-regulation (1) is related to a power or function delegated as referred to in the said sub-regulation.".

4. In the principal regulations, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted:

"*SCHEDULE A*

ELIGIBILITY CRITERIA OF AUTHENTICATION SERVICE AGENCIES

[*See* regulation 12(2A)]

1. Entities seeking appointment as ASA are categorised as follows:

S. No.	Organisation category
Category 1	A Ministry or Department of the Central Government ora State Government, or an undertaking owned or controlled by the Central Government or a State Government
Category 2	An authority constituted under any Central or State Act
Category 3	Any other entity of national importance in the opinion of the Authority
Category 4	A company registered in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013)
Category 5	An AUA or a KUA

2. The technical and financial criteria for entities for appointment as ASA are as under:

Category	Financial requirement	Technical requirement
Category 1, 2 and 3	—	—
Category 4	Annual turnover of at least ₹100 croreas per the audited financial statements for last three financial years	A Telecom Service Provider {Unified Licensee having Access Services authorisation or Unified Access Services Licensee, granted licence under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885)}, having a minimum of 100 Multiprotocol Label Switching (MPLS) Points of Presence (PoP) in India OR A Network Service Provider or System Integrator having pan-India network connectivity for data transmission, having at least 100 MPLS PoPs in India
Category 5	—	An AUA or KUA that meets such authentication transaction criteria as the Authority may determine from time to time.".

NIKHIL SINHA, Director

[ADVT.-III/4/Exty./457/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 9th November 2011 *vide* notification No.K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 2 of 2021), dated 8.11.2021 and last amended *vide* notification no. HQ-13011/240/2021-AUTH-II (No. 01 of 2023), dated the 24th February, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.04 20:18:36 +05'30'